



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2889]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2016/अग्रहायण 16, 1938

No. 2889]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2016/AGRAHAYANA 16, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसंबर, 2016

का.आ. 3677(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 15 दिसंबर, 2016 को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को प्रवृत्त करने की तारीख नियुक्त करती है, अर्थात् :-

क्र. सं.	धारा
1.	धारा 2 का खंड (23)
2.	धारा 7 की उपधारा (7) का खंड (ग) और (घ)
3.	धारा 8 की उप धारा (9)
4.	धारा 48
5.	धारा 66
6.	धारा 224 की उपधारा (2)
7.	धारा 226
8.	धारा 230 [उप धारा (11) और (12) को छोड़कर], और धारा 231 से 233
9.	धारा 235 से 240
10.	धारा 270 से 288
11.	धारा 290 से 303
12.	धारा 324
13.	धारा 326 से 365

14.	धारा 370 का परंतुक
15.	धारा 372 से 373
16.	धारा 375 से 378
17.	धारा 391 की उप धारा (2)
18.	धारा 434 की उप धारा (1) का खंड (ग)

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V-पार्ट]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2016

S.O. 3677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 15th day of December, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely :-

SL.No.	Section
1.	Clause (23) of section 2
2.	Clause (c) and (d) of sub-section (7) of section 7
3.	Sub-section (9) of section 8
4.	Section 48
5.	Section 66
6.	Sub-section (2) of section 224
7.	Section 226
8.	Section 230 [except sub-section (11) and (12)], and Sections 231 to 233
9.	Sections 235 to 240
10.	Sections 270 to 288
11.	Sections 290 to 303
12.	Section 324
13.	Sections 326 to 365
14.	Proviso to section 370
15.	Sections 372 to 373
16.	Sections 375 to 378
17.	Sub-section (2) of section 391
18.	Clause (c) of sub-section (1) of section 434

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL-V-pt]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.